**भारत सरकार**

**वस्‍त्र मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3498**

**26 मार्च, 2018 को उत्‍तर दिए जाने के लिए**

**चीन-बांग्लादेश से परिधानों का आयात**

**3498. श्री संजय राउतः**

**क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि विशेषकर चीन/बांग्लादेश द्वि-पक्षीय व्यापार से परिधानों का बढ़ता आयात धीरे-धीरे और चुपचाप रेशों से लेकर परिधानों की पूरी घरेलू वस्त्र मूल्य शृंखला को खत्म कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस उद्योग ने वस्त्र उद्योग को आगे होने वाली और अधिक क्षति से बचाने के लिए स्रोत पर प्रतिबंध लगाने के लिए तत्काल सरकार के हस्तक्षेप की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) वस्त्र उद्योग की वृद्धि के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**वस्‍त्र राज्‍य मंत्री**

**(श्री अजय टम्‍टा)**

**(क) और (ख):** वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) के आंकड़ों के अनुसार चीन और बांग्‍लादेश से अपैरल का आयात अप्रैल, 2016- जनवरी, 2017 के दौरान क्रमश: 189 मिलियन अमरीकी डॉलर तथा 118 मि‍लियन अमरीकी डॉलर की तुलना में अप्रैल 2017-जनवरी, 2018 के दौरान क्रमश: 249 मिलियन अमरीकी डॉलर तथा 145 मिलियन अमरीकी डॉलर का हुआ। वस्‍त्र एवं अपैरल के आयातों में वृद्धि हुई है चूंकि आधारभूत सीमा शुल्‍क (बीसीडी) की छूट है (बांग्‍लादेश के आयातों के मामलों में) तथा जीएसटी के उपरांत कोई सीवीडी अथवा शिक्षा उप-कर लागू नहीं है।

**(ग) और (घ):** जी, हां। उद्योग ने संकेत दिया है कि भारत के साथ एफटीए वाले पड़ोसी देशों के साथ फैब्रिक फॉरवर्ड रुल्‍स की आवश्‍यकता है। सरकार, मूल्‍य श्रृंखला में भारत की क्षमताओं को बढ़ाकर तथा इन देशों द्वारा अपैरल के निर्यात, भारत से फैब्रिक तथा कच्‍ची सामग्री का आयात करने की आवश्‍यकता के साथ जोड़कर बांग्‍लादेश तथा श्रीलंका जैसे देशों के साथ कारोबार को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। आगे आयात को सीमित करने के लिए एमएमएफ एवं रेशम फैब्रिक पर बीसीडी को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है।

**(ङ):** सरकार ने भारतीय वस्‍त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। वस्‍त्र मूल्‍य श्रृंखला में फाइबर,यार्न तथा फैब्रिक जैसे उत्‍पादों को अन्‍य योजनाओं के साथ-साथ फैब्रिक सेगमेंट के लिए पॉवरटेक्‍स, स्पिनिंग को छोड़कर सभी सेगमेंट के लिए संशोधित प्रौद्योगिकी उन्‍नयन निधि योजना (एटीयूएफएस), सभी सेगमेंट के लिए एकीकृत वस्‍त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) आदि जैसी विभिन्‍न योजनाओं के माध्‍यम से सुदृढ़ तथा प्रतिस्‍पर्धी बनाया जा रहा है। रेश्‍म क्षेत्र में गुणवत्‍ता तथा उत्‍पादकता में वृद्धि के लिए घरेलू स्‍वचालित मशीनों तथा ‘बुनियाद रीलिंग मशीनों’ की शुरूआत की गई है। जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के उद्देश्‍य से सरकार ने एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस) के अंतर्गत 3 वर्षों के दौरान 7.54 लाख लोगों का कौशल उन्‍नयन किया है। वस्‍त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए 10 लाख लोगों का कौशल उन्‍नयन करने हेतु 1300 करोड़ रुपए के परिव्‍यय से एक नई योजना अनुमोदित की गई है। चूंकि अपैरल सेक्‍टर में रोजगार सृजन की सबसे अधिक संभावना है, सरकार ने अपैरल एवं मेड-अप्‍स हेतु विशेष पैकेज के अंतर्गत प्रधानमंत्री परिधान रोजगार प्रोत्‍साहन योजना (पीएमपीआरपीवाई) की शुरूआत की है जिसके अंतर्गत सरकार, परिधान एवं मेड-अप्‍स क्षेत्रों में नए कर्मचारियों के लिए उनके रोजगार के पहले 3 वर्षों हेतु एक विशेष प्रोत्‍साहन के रूप में कर्मचारी भविष्‍य निधि योजना में नियोक्‍ता के समग्र 12% के अंशदान को वहन करती है।

\*\*\*\*\*